रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 जून, 1998/19 ज्येष्ठ, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जून, 1998

संख्या एल0 एल0 आर0(राजभाषा)बी(16)-9/98.—"दी हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एण्ड गुड्ज टैक्सेशन (अमैन्डमैन्ट) ऐक्ट, 1996 (1997 का 1)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के तारीख 2 जून, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है

1965-राजपत्र/98-9-6-98—1,287. (2097) मूल्य : एक रुपया।

और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 क अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 1996

(1997 का 1)

(7 जनवरी, 1997 को राज्यपाल द्वारा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 1996 है।

(2) यह प्रथम अक्तूबर, 1996 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, —

(क) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ क) "किलोग्राम" से बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 में यथा परिभाषित किलोग्राम अभिप्रेत है;

(ख) विद्यमान खण्ड (घ घ) को खण्ड (घ ख) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा; और

(ग) विद्यमान खण्ड (झ) और खण्ड (ठ) को, खण्ड (ठ) और खण्ड (ढ) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित खण्ड (ठ) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड (झ) और खण्ड (ट) अन्त:स्थापित किए जाएंगे, तथा पुन: संख्यांकित खण्ड (ढ) से पूर्व खण्ड (ड) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(झ) "विहित प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आबकारी और कराधान विभाग का कोई अधिकारी, जो आबकारी और कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिप्रेत है;

(ट) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) "कर" से अधिनियम की धारा 3 और धारा 3-ख के अधीन उद्गृहीत कर अभिप्रेत है।"

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) कर, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेशित करे —

(i) मोटर गाड़ियों द्वारा वहन किए गए सभी यात्रियों के बारे में सभी किरायों पर ऐसी दरों पर जो किराए के मूल्य के पचास प्रतिशत से अनधिक है; और

(ii) मोटर गाड़ियों द्वारा परिवहन किए गए सभी सामान के बारे में सभी भाड़ों पर ऐसी दरों पर जो भाड़े के मूल्य का पांच प्रतिशत से अनधिक है, किसी एक मामले में न्यूनतम पांच पैसे के अध्यधीन कर की रकम की संगणना पांच पैसे के निकटतम गुणक तक करत हुए, दो पैसे या उससे कम को छोड़ कर तथा दो पैसे से अधिक की गणना पांच पैसे के रूप में करते हुए, उद्गृहीत, प्रभारित किया जाएगा और सरकार को संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण .—जब मोटर गाड़ियों द्वारा यात्रियों का वहन और सामान का परिवहन किया जाता है और कोई भी किराया या भाड़ा चाहे प्रभार्य है या नहीं, प्रभारित नहीं किया गया है, तो कर इस प्रकार उद्गृहीत और संदत्त किया जाएगा मानो ऐसे यात्रियों का वहन या सामान का परिवहन उस मार्ग पर प्रचलित सामान्य दर पर किया गया था।".

धारा 3-ख का अन्तःस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा 3-ख अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3-ख. अतिरिक्त सामान कर का उद्ग्रहण—

(1) धारा 3 के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 1996 के प्रारम्भ को, और राज्य के भीतर सड़क द्वारा तय किए गए/तय किए जा रहे एक सौ पचास किलोमीटर या उसके भाग के प्रत्येक स्लैब के लिए अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सामान के परिवहन पर दर्शाई गई स्तम्भ (3) में दरों पर अतिरिक्त कर उद्-गृहीत, प्रभारित किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कर, यथास्थिति, भारसाधक व्यक्ति या मोटर गाड़ी के चालक द्वारा विहित रीति में, सरकारी खजाना या भारतीय स्टट बैंक अथवा जिला जिसके बीच से सामान का परिवहन किया जाता है, क विहित प्राधिकारी को इस शर्त के अधीन रहते हुए संदत्त किया जाएगा कि ऐसा प्राधिकारी विहित रीति में उसमें विनिर्दिष्ट रकम प्राप्त करने के प्रमाण स्वरूप उसे एक रसीद जारी करेगा ।"

धारा 4 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु सामान के वहन या मोटर कैब, मैक्सी-कैब और स्कूटर-रिक्शों की दशा में जब कभी स्वामी एकमुश्त राशि में कर या कर तथा अधिभार संदत्त करने का विकल्प देता है तो सरकार, विहित रीति में भाड़े या किराए पर, धारा 3 और धारा 3-क के अधीन संदेय, यथास्थिति, कर या कर और अधिभार के बदले में एकमुश्त राशि ले सकेगी :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट से भिन्न, मोटर गाड़ियों की दशा में (जिसके अन्तर्गत मंजिली गाड़ी या ठेके की गाड़ियां भी हैं) जिनमें यात्रियों का वहन किया जाता है, जब कभी स्वामी एकमुश्त, राशि में कर या अधिभार संदत्त करने का विकल्प देता है, तो राज्य सरकार, गाड़ी की रजिस्ट्रीकृत धारिता और ऐसी गाड़ियों के लिए जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अधीन ऐसी मोटर गाड़ियों द्वारा तय की जाने वाली दूरी को ध्यान में रखते हुए विहित रीति में धारा 3 और धारा 3-क के अधीन संदेय कर और अधिभार के बदले में एकमुश्त राशि ले सकेगी।"

धारा 10 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्दों "किन्हीं उपबन्धों" के पूर्व चिन्ह, शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3-ख के उपबन्धों से भिन्न" जोड़े जाएंगे।

धारा 14-ख का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 14-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं 14-ख, 14-ग और 14-घ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"14-ख. चैक पोस्ट या बैरियर की स्थापना और अभिवहन में सामान का निरीक्षण :—

(1) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन को रोकने या पड़ताल के उद्देश्य से, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी सड़क या सड़कों पर जो अधिसूचित की जाएं, चैक पोस्ट की स्थापना या बैरियर के परिनिर्माण या दोनों के लिए निदेश दे सकेगी।

(2) प्रत्येक चैक पोस्ट या बैरियर अथवा किसी अन्य स्थान पर, जब चैक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो आबकारी और कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति या मोटर गाड़ी का चालक मोटर गाड़ी रोकेगा या रुकवाएगा और इसे उतनी देर तक जितनी कि युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो खड़ा रखेगा और उपर्युक्त अधिकारी मोटर गाड़ी में रखी विषय-वस्तु का पैकेज या पैकेजिज, यदि आवश्यक हो, तोड़ कर व खोलकर परीक्षण करने और परिवहन किए गए सामान से सम्बन्धित अभिलेख का निरीक्षण करने की जो ऐसे प्रभारी व्यक्ति या चालक के कब्जे में हो, अनुज्ञा देगा और ऐसी अन्य सूचना भी देगा जो उपर्युक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो तथा यदि आवश्यक समझा जाए, तो ऐसा अधिकारी सामान या मोटर गाड़ी की तलाशी भी ले सकेगा।

(3) यथास्थिति, मोटर गाड़ी का प्रभारी व्यक्ति या चालक, उसके द्वारा परिवहन किए जा रहे सामान के बारे में धारा 3 और धारा 3-ख के अधीन उस द्वारा संदत्त किए गए कर और/या अतिरिक्त सामान कर को दर्शाते हुए, विहित प्ररूप में रसीद, अपने पास रखेगा और मांगने पर चैक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी को या, ऐसी मोटर गाड़ी की, किसी अन्य स्थान पर पड़ताल करने वाले, किसी अन्य अधिकारी को जो आबकारी और कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पेश करेगा ।

(4) यथास्थिति, मोटर गाड़ी का प्रभारी व्यक्ति या चालक उप-धारा (3) के अधीन यथापेक्षित रसीद पेश करने में असफल रहेगा तो, यथास्थित, चैक पोस्ट या बैरियर का प्रभारी अधिकारी या उप-धारा (3) के अधीन निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी चैक पोस्ट या बैरियर अथवा निरीक्षण के स्थान पर, यथास्थिति, कर और अतिरिक्त सामान कर वसूल करेगा तथा उसे विहित प्ररूप में रसीद जारी करेगा ।

(5) यदि सामान का परिवहन, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर और/या अतिरिक्त सामान कर संदेय है, अभिवहन के दौरान राज्य में आने वाले प्रथम चैक पोस्ट या बैरियर से हो रहा हो, तो मोटर गाड़ी का प्रभारी व्यक्ति या चालक ऐसी चैक पोस्ट या बैरियर पर कर का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के लिए विहित प्ररूप में रसीद प्राप्त करेगा ।

14-ग. शास्तियां.—(1) जो कोई भी,—

(क) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों अथवा ऐसे किन्हीं उपबन्धों या नियमों के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है; या

(ख) परिवहन किए गए सामान की विशिष्टियां छुपाता है या जानबूझ कर ऐसे सामान की गलत विशिष्टियां पेश करता है, दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी मैजिस्ट्रेट, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपराध का आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा लिखित परिवाद करने के सिवाय, संज्ञान नहीं करेगा ।

14-घ. अपराधों का शमन ,—

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को, जो आबकारी और कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो,

इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए गए अपराध का शमन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का शमन, या तो एक हजार रुपए अथवा कर अधिभार या अतिरिक्त सामान कर की रकम, से दुगनी रकम, जो भी अधिक हो, प्रभारित करके, कर सकेगा ।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट राशि के संदाय पर, ऐसे अपराध के बारे में सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध आगे कोई भी दाण्डिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी ।"

धारा 21-क का अन्तः-स्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 21-क अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"21-क. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति —

(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी सामान का परिवर्धन या लोप और उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सामान कर की दर को संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूची तद्नुसार संशोधित मानी जाएगी :

परन्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सामान कर की दर में किसी एक समय पर पचास प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी नहीं की जाएगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी ।"

धारा 22 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) में, —

(क) प्रथम परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 3-ख के प्रयोजनों के लिए, भूतलक्षी प्रभाव से नियम बना सकेगी ताकि यह प्रथम अक्तूबर, 1996 को या उसके पश्चात् किसी दिन से प्रभावी हो सके :";

अनुसूची जोड़ना।

10. मूल अधिनियम के अन्त में, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची"

[धारा 3-ख की उप-धारा (1) और धारा 21-क देखें]

क्रम संख्या	सामान की विशिष्टियां जिनके परिवहन पर अतिरिक्त सामान कर उद्ग्राह्य है	50 कि0 मीटर के प्रत्येक स्लैब या उसके भाग क परिवहन के लिए अतिरिक्त कर की दर
1	2	3
1.	सभी प्रकार के सूत (ऊनी सूत को अपवर्जित करते हुए)	1.00 रुपया प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए।
2.	सभी प्रकार के कण्डक्टर और ऐलुमिनियम वाईअर रोडज	1.00 रुपया प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए।
3. (क)	बजरी, रेत और अन्य खनिज, कणाश्म (चूना पत्थर ग्रेनाइट) और संगमरमर, संगमरमर चिप्स और (टुकड़े) और	7.00 रुपए प्रति टन।
(ख)	चूना-पत्थर:	(1) 1-10-1996 से 31-12-1996 तक 7.00 रुपए प्रति टन।
4.	ईंटें	30.00 रुपए प्रति हजार।
5.	ईंटें रोड़े	15.00 रुपए प्रति टन।
6.	सभी प्रकार की दरियां	10.00 रुपए प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए।
7.	सीमेंट और खंगर	60.00 रुपए प्रति टन।
8.	वन उपज :	
(क)	इमारती लकड़ी [सभी प्रकार के सान, हाकरीज, डिमडिमास, गेलियां (लागज) बल्लियां और रफ ऐक्सड]	45.00 रुपए प्रति वर्ग मीटर।
(ख)	खैर की लकड़ी (जिसके अन्तर्गत जड़ें या अन्य रूप में भी हैं)	60.00 रुपए प्रति क्विंटल।

1	2	3
	(ग) ईंधन की लकड़ी और चीड़ की गुद्देदार लकड़ी	10.00 रुपए प्रति क्विंटल ।
	(घ) अन्य वन उपज :	
	(i) भाभर घास	5.00 रुपए प्रति क्विंटल ।
	(ii) बांस, बारबेरीज, एलबम्का आफ सियनेल (आंवला फल) और बरोजा	2.00 रुपए प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
	(iii) डाइस्कोरिया, साऊसरिया लाप्पा (कुठ), रीठा, टर्मिनली, चेबुला (हरड़फल) और टर्मिनेलिया बेलरीका (बेहड़ा फल)	4.00 रुपए प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
	(iv) सेन्टीआना कारू (कोड़), जुरीनिया मैकरोप्रेफला (धूप) और पिकरोथिजा करोसा (कैड़, कड़ू)	5.00 रुपए प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
	(v) जुगलांसरेमिया (अखरोट छाल और फल) वायोलसर पैन्स बायो लाग्रोडोराटा (वनफशा), चिलगोजा और सभी वन प्रजाति जैसे देवदार, कैल, चीड़ और चौड़े पत्ते वाली प्रजातियों के बीच	10.00 रुपए प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
	(vi) केरम कारवी (काला जीरा और कत्था)	30.00 रुपए प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
	(vii) राऊवेलफिया सरपेन्टीना (राऊवेलफिया)	75.00 रुपए प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
	(viii) मरचेला एसकुलेन्टा (गुच्छी)	30.00 रुपए प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए।
9.	फल (जिसके अन्तर्गत अन्यथा विनिर्दिष्ट सूखे फल नहीं हैं)	50 पैसे प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
10.	(क) कणाश्म (ग्रेनाइट) और संगमरमर जिसके अन्तर्गत संगमरमर के चिप्स और टुकड़े भी हैं	75 पैसे प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए।
	(ख) चूना-पत्थर चिप्स	7 पैसे प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
11.	तैयार विस्फोटक सुरक्षा फ्यूज, प्रस्फोटक फ्यूज, प्रस्फोटक टोपी, विस्फोट-प्रेरक और नोदक पाउडर	5.00 रुपए प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।
12.	सब्जियां जिसके अन्तर्गत आलू भी हैं	25 पैसे प्रति 10 किलोग्राम या उसके भाग के लिए ।

स्पष्टीकरण.—"इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(क) "इमारती लकड़ी" से सभी प्रकार की लकड़ी चाहे किसी प्रयोजन के लिए काटी गई है या विशिष्ट आकार अथवा खोखला की गई है या नहीं, अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत ईंधन की लकड़ी नहीं है, और

(ख) "कंडक्टर" से विद्युत ऊर्जा या किसी अन्य रूप की विद्युत के संप्रेषण में उपयोग की गई कोई तार (वायर) अभिप्रेत है।"।

1996 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां।

11. (1) हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 3) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि० प्र०, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।